न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 50/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/70

1. रूपाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. नंदलाल सिंह पुत्र गोपालसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. नरायणराम पुत्र बीरमाराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. ज्ञानाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. दानाराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. रामदयाल पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. राणुराम पुत्र उमाराम जाति नाई निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. गणेशाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. हरिराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
10. लिच्छुराम पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
11. भागीरथ पुत्र भंवराराम जाति सुथार निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
12. आशाराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
13. रूपाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
14. रामप्रताप उर्फ परताराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
15. रामूराम पुत्र दीराजराम जाति जाट निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. कालूराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मेघाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सुखी पत्नि किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. स्टेट जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नरसाराम जाखड़ अभिभाषक अपीलांट्स
श्री अजय कुमार ओझा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 4.10.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के निर्णय दिनांक 20.09.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम बापेउ राजस्व तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के खसरा नंबर 510 तादादी 8.10 हैक्टर रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 510 के चिपता दक्षिणी तरफ के खसरा नम्बर 603, 602, 604, एवं 601 कुल तादादी 55.90 हैक्टयर ग्राम बापेउ की आबादी भूमि हेतु आरक्षित है, जिस पर ग्राम की आबादी बसी हुई है। अपीलान्ट्स ग्राम बापेउ के निवासीगण है, जिनके मकान, बाड़ा आदि ग्राम बापेउ की आबादी भूमि में बने हुए है, जिनके पट्टे ग्राम पंचायत के द्वारा सन् 1981 में जारी किए हुए है। उक्त प्रकरण में रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1 ता 3 ने उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि ''रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1 ता 3 के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 8.10 हैक्टेयर मय गै.मु. रास्ता 0.13 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ की पैमाइश करवाई जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करें।'' रेस्पोडेन्टस के इस प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ ने सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिनांक 20.09.2021 को दिया। उक्त आदेश दिनांक 20.09.2021 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– अभिभाषक अपीलांट ने धारा 5 अंतर्गत मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों उचित मानते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। इसके साथ ही अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 96 सीपीसी पेश कर अपीलांट्स को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को सही मानते हुए प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री नरसाराम जाखड ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बापेउ राजस्व तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के खसरा नंबर 510 तादादी 8.10 हैक्टर रेस्पोन्डेन्टस कालूराम पुत्र किशनाराम वगैरह की खातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 510 के चिपता

दक्षिणी तरफ के खसरा नम्बर 603, 602, 604, एवं 601 कुल तादादी 55.90 हैक्टयर ग्राम बापेउ की आबादी भूमि हेतु आरक्षित है, जिस पर ग्राम की आबादी बसी हुई है। अपीलांटस के मकान बाड़ा आदि ग्राम बापेउ की आबादी भूमि में बने हुए है, जिनके पट्टे ग्राम पंचायत के द्वारा सन् 1981 में जारी किए हुए है, जिस पर अपीलांटस अपने–अपने मकान बना कर निवास करते आ रहे है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मौका हालात को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम आबादी के चिपता क्षेत्र होने एवं खातेदारों को अनभिज्ञतावश कब्जा नहीं होने के कारण उक्त खसरा भूमि से अवैध अतिक्रमण मौके पर स्थित है, इससे स्पष्ट है कि पैमाईश तो मौके पर की ही नहीं है केवल मात्र अनुमान के आधार पर कयास लगाये जा रहे है कि अवैध अतिक्रमण है जो पूर्णतयाः गलत है, क्योंकि खसरा नम्बर 510 के चिपते आबादी के खसरा नम्बर है, जिन पर आबादी बसी हुई है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 3 का रकबा उत्तरी तरफ के काश्तकारों के द्वारा दबाया हो सकता है साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उक्त खसरा भूमि पर सरकारी दो होज, दो छोटे क्वॉटर आदि बने है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ ने मौका एवं रिकॉर्ड के विपरीत जाकर बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2021 पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में कायम रखने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री अजय कुमार ओझा द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बापेउ राजस्व तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के खसरा नंबर 510 तादादी 8.10 हैक्टर मय गै.मु रास्ता 0.13 हैक्टयर में स्थित है। उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्टस 1 ता 3 की पैतृक भूमि है जो विरासतन रेस्पोडेन्ट्स के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलांट्स को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की लॉकसस्टेण्डाई नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 510 आबादी ग्राम बापेउ के पास स्थित होने से कई लोगों ने आबादी भूमि की आड़ लेकर बाड़े आदि बना रखे है। रेस्पोडेन्टेस 1 ता 3 के आवेदन पर तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ ने उक्त खसरा नम्बर 510 की पैमाइस करने का आदेश दिनांक 14.07.2020 दिया। उक्त आदेश की पालना में जब खसरा नम्बर 510 का माप किया गया तो मौके पर भूमि कम पाई गई तथा खेत पड़ौसियो ने माप करने से मना कर दिया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपौर्ट तैयार की गई। सीमाज्ञान से खातेदार संतुष्ट है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में कही नहीं बताया कि 14 घर खेत की किस दिशा व कितनी भूमि पर बसे हुए है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट्स 1 ता 3 के पास अपनी भूमि खसरा नम्बर 510 की पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ करवाने के लिए अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष पेश की गई। उक्त अपील में अधिनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दियें। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ का आदेश दिनांक 20.09.2021 अपीलांटस को बिना सुने इकतरफा तौर पर पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में विवादित खसरें की वास्तविक स्थिति की विस्तृत जांच करते हुए पत्थरगढ़ी करवाई जाना सुनिश्चित करें।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर